प्रकरण संख्या 13/2019 मखजी उर्फ मारख व अन्य बनाम रूपा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण चचेरे भाई होकर ग्राम खतेलासाथ, तहसील सज्जनगढ़ में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खाता संख्या 41 नई 37 पुरानी जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में आराजी नंबर 61, 63, 113, 116, 128, 129, 130, 131 कुल किता 8 रकबा 10.16 एकड़ भूमि दर्ज है। खाता संख्या 3 की कुल खसरा नंबर 9 रकबा 10.16 एकड़ भूमि संवत् 2015 में जोखा पिता हरिया भील के नाम दर्ज है। चूंकि वक्त सेटलमेन्ट जोखा बड़ा भाई होने से उसके भाई बदा व मडसिया नाबालिग होने से खाता बड़े भाई जोखा के नाम दर्ज हुआ जोखा के दो अन्य भाई बदा व मडसिया का नाम दर्ज नहीं हुआ तथा जोखा की मृत्यु पर विरासत से उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गया, जबकि उक्त आराजियात में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा होकर मौके पर काबिज हैं। मूल पुरूष मकना जी होकर सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है। अतः अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ये 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया विवादित आराजियात ग्राम खतेलासाथ में स्थित नहीं है, बल्कि गांव मगरदा खतेलासाथ में स्थित होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की भूमि है तथा उन्हीं का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का कभी उक्त आराजियात पर कब्जा नहीं रहा तथा वादीगण के पिता शुरू से गांव आमलीपाडा, तहसील कुशलगढ़ में रहते हैं तथा उनका जन्म वहीं हुआ। वादीगण के पिता ने हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया तथा मूल नाम बदलकर ईसाई धर्म जैसे नाम रख लिये। वादीगण का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद [illegible] किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:21 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 27.08.2019 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.10.2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री डी. सी. निगम उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये, वह सभी दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रकरण प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत था, जिसकी अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के मौखिक कथनों का खण्डन नहीं हुआ है, फिर भी वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 व 2 के निस्तारण में भूल की है तथा तनकी नंबर 5 प्रतिवादी के पक्ष में करने में भूल की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित आराजियात जोखा के नाम आवंटित हुई हो या उनके द्वारा क्रय की गयी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने काल्पनिक आधारों पर कयास लगाकर विवादित भूमि जोखा की मानते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:21 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। हमारे सम्मुख आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में विवादित आराजी नंबर 61, 63, 113, 116, 128, 129, 130, 131 कुल किता 8 रकबा 10.16 एकड़ भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता जोखा के खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी में दर्ज है, जबकि जमाबन्दी संवत् 1975–76 खाता संख्या 10 में किता 6 रकबा 13.32 एकड़ भूमि पक्षकारान के पूर्वाधिकारी मकना वल्द तेजीया के नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से इनका परीक्षण किया जाकर निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 9/2018 निर्णय एवं डिक्री 27.08.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे सम्मुख प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों का परीक्षण कर तथा उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:21 IST
Reason: SelfAttested